

तारीख हुकम

हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

राजस्व आवेदन संख्या 466/2024 अनवान अमीन बनाम धुड़ाराम

नम्बर व  
तारीखअहकाम जो  
इस हुकम की  
तामील मे जारी  
हुए

22.08.24

### आदेश

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण के वकील उपस्थित। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल श्रेणी में प्राप्त हुए है आज वावजूद सूचना अनुपस्थित होने से उनके विरुद्ध ईकरतफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थी मौजा सुथारों की ढाणी पटवार हल्का भाड़खा तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 340/184 रकबा 9.1944 हैक्टेयर, खसरा संख्या 346/184 रकबा 0.5504 हैक्टेयर, खसरा संख्या 454/184 रकबा 1.7321 हैक्टेयर भूमि के अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहती है, इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार है।

वकील प्रार्थीगण को सुनने के पश्चात पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि का अभिलिखित खातेदार हैं तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहता हैं जो उचित प्रतीत होता है।

प्रकट तथ्यों के म्हेजजर आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा सुथारों की ढाणी पटवार हल्का भाड़खा तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 340/184 रकबा 9.1944 हैक्टेयर, खसरा संख्या 346/184 रकबा 0.5504 हैक्टेयर, खसरा संख्या 454/184 रकबा 1.7321 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीशनर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि उक्त कार्रवाई प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व फ़थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के म्हेजजरे) की जावे। कमीशनर फीस 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। इस आशय का आदेश तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण के नाम जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर सामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल-सुमार होकर



उपखण्ड अधिकारी  
बाड़मेर